## राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

जाकिर व अन्य बनाम स्टेट

प्रकरण का प्रकार प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी क्रमांक सन

| आदेश दिनांक | आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त | आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 13.06.2022 | पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी पर विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील संख्या 98/2004 अनवान अलीशेर बनाम सरकार दिनांक 19.01.2006 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है। उक्त अपील में श्री शिवप्रताप जांगिड़ एडवोकैट को वकील नियुक्त किया था। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 11.08.2021 को हो गई थी। रीतिरस्मा रिवाज के बाद अपने पिता अलीशेर के बैग को संभालातो उसबैग में कृषि भूमि से संबंधित कागजात और उकत अपील से संबंधित कागजात मिले तब विचाराधीन कि शिवप्रता जांगिड़ एडवोकेट की मृत्यु काफी समय पहले होचुकी हैजिस पर धिवक्ता श्री विजय गोंद से सम्पक कर अपील से संबंधित जानकारी प्राप्त की। एवं नकल प्रापत कर यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है। देरी क्षमा की जावे। अपील अदम हाजरी में खारिज होने से अपीलाण्ट/प्रार्थी को भारी नुकसान होगा। अपील में गुणावुणों पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय डिक्री अपास्त होने योग्य है तथा इस अपील को पुनः रेस्टोर फरमाया जावे।<br><br>विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र बहुत लम्बी अवधि बाद पेश किया है देरी से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।<br><br>विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।<br><br>मूल अपील के अधिव[illegible] विजय जांगिड़ का स्वर्गवास हो गया [illegible] का भी स्वर्गवास हो चुका है। मूल अपील सहायक कलक्टर रावतसर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.08.2004 के विरूद्ध पेश की गई थी जिसमें प्रश्नगत भूमि जोहड़ एवं आबादी के नाम दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज किया गया है। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:04:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विरूद्ध अपील संख्या 98/04 अलीशेर बनाम सरकार पेश हुई जो दिनांक 09.01.2006 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई थी। प्रार्थी ने लगभग 15 वर्ष बाद अपील को रेस्टोर करने का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। इतने लंबे समय पश्चात् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

13/6/22

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:04:48 IST
Reason: SelfAttested